प्रारंभिक परीक्षा

आईसीजीएस अजीत (ICGS AJIT)

संदर्भ

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) ने एक नया फास्ट पेट्रोल वेसल (FPV), ICGS अजीत भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) को सौंप दिया है।

आईसीजीएस अजीत के बारे में

- **प्रकार:** तटीय और अपतटीय समुद्री सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया फास्ट पेट्रोल वेसल (तेज गश्ती पोत)।
- **निर्माता:** गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL)।
- **स्वदेशी सामग्री:** 65% से अधिक स्वदेशी सामग्री, जो रक्षा जहाज निर्माण में 'आत्मनिर्भर भारत' का समर्थन करती है।
- **प्रणोदन (Propulsion):** नियंत्रणीय पिच प्रोपेलर (Controllable Pitch Propellers - CPP) के साथ दोहरे समुद्री डीजल इंजनों द्वारा संचालित, जो FPV के इस वर्ग (क्लास) के लिए पहली बार है।
- **प्रदर्शन:** लगभग 1,500 समुद्री मील (नॉटिकल मील) की मारक क्षमता (endurance range) के साथ 27 नॉट्स से अधिक की अधिकतम गति।
- **प्रौद्योगिकी:** बेहतर परिचालन दक्षता के लिए एक एकीकृत मशीनरी नियंत्रण प्रणाली से लैस।
- **भूमिकाएं:** EEZ (अनन्य आर्थिक क्षेत्र) निगरानी, तटीय गश्त, मत्स्य पालन संरक्षण, तस्करी विरोधी, समुद्री डकैती रोधी तथा खोज और बचाव अभियान चलाता है।

प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) प्लेटफॉर्म

संदर्भ

प्रधानमंत्री ने हाल ही में PRAGATI (प्रगति) प्लेटफॉर्म की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की।

प्रगति प्लेटफॉर्म के बारे में

- **उद्देश्य**: केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट्स, योजनाओं और जनता की शिकायतों की रियल-टाइम समीक्षा करने में मदद करना।
- **टेक्नोलॉजी**: इसे PMO ने NIC के साथ मिलकर विकसित किया है, जिसमें डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।
- **तीन-स्तरीय सिस्टम**: इसमें PMO, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव एक साथ आते हैं।
- **PM की अगुवाई में समीक्षा**: प्रधानमंत्री अपडेटेड डेटा, डॉक्यूमेंट्स और विज़ुअल्स का इस्तेमाल करके चुने हुए प्रोजेक्ट्स, योजनाओं और शिकायतों की सीधे समीक्षा करते हैं।

- **मुद्दों का चयन**: जनता की शिकायतों, चल रहे प्रोग्राम्स और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स से जुड़े डेटाबेस से मुद्दों की पहचान की जाती है।
- **फॉलो-अप सिस्टम**: फैसलों को कई स्तरों पर ट्रैक किया जाता है; कैबिनेट सचिवालय प्रोजेक्ट्स की निगरानी करता है, जबकि मंत्रालय PMO की देखरेख में योजनाओं और शिकायतों की समीक्षा करते हैं।

अल्जाइमर रोग के निदान के लिए स्मार्ट तकनीक

संदर्भ

जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (JNCASR) के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के एमाइलॉयड-β (Aβ) बायोमार्कर का पता लगाने के लिए एक प्रतिदीप्ति-प्रतिक्रियाशील (fluorescence-responsive) प्रोब 'TZ-48', और एक स्मार्टफोन-आधारित प्लेटफॉर्म 'ADxFluor' विकसित किया है।

प्रौद्योगिकी के बारे में

- **TZ-48 प्रोब (Probe):** एक छोटा अणु जिसकी प्रतिदीप्ति Aβ के साथ बातचीत (संपर्क) करने पर बदल जाती है, जो एमाइलॉयड प्लाक और फाइब्रिल (fibrils) का पता लगाने में सक्षम बनाता है।
- **एडीएक्सफ्लोर (ADxFluor):** स्मार्टफोन-एकीकृत प्रणाली जो रक्त और सेरेब्रोस्पाइनल द्रव (CSF) में TZ-48 की प्रतिदीप्ति प्रतिक्रिया को पकड़ती है और मापती (quantifies) है।
- **विकासकर्ता:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान, JNCASR के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित।

यह कैसे काम करता है?

- **बायोमार्कर का पता लगाना:** TZ-48, Aβ फाइब्रिल से जुड़ जाता है, जिससे प्रतिदीप्ति (fluorescence) में एक मापने योग्य परिवर्तन उत्पन्न होता है।
- **प्रतिदीप्ति विश्लेषण (Analysis):** स्मार्टफोन एप्लिकेशन का उपयोग करके प्रतिदीप्ति प्रतिक्रिया को मापा जाता है, जिससे पोर्टेबल तरीके से रोग का पता लगाना सक्षम होता है।
- **रोग का आकलन:** यह प्लेटफ़ॉर्म Aβ के बोझ (मात्रा) का पता लगाने और उसे मापने में मदद कर सकता है, जो अल्जाइमर रोग की संभावित स्क्रीनिंग और उसके चरण (स्टेज) का पता लगाने में सहायक है।

Aβ क्यों मायने रखता है?

- **अल्जाइमर पैथोलॉजी:** मिसफोल्डेड (खराब तरीके से मुड़े हुए) Aβ प्रोटीन, फाइब्रिल और बाह्यकोशिकीय (extracellular) प्लाक में एकत्रित हो जाते हैं, जो न्यूरोनल (तंत्रिका) क्षति और संज्ञानात्मक गिरावट (cognitive decline) में योगदान करते हैं।
- **प्रारंभिक बायोमार्कर:** Aβ अल्जाइमर रोग का एक प्रारंभिक और अपेक्षाकृत विशिष्ट बायोमार्कर है।
- **मौजूदा सीमाएं:** पीईटी (PET) और एमआरआई (MRI) महंगे हैं और इसके लिए विशेष बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जबकि रक्त-आधारित बायोमार्कर परीक्षण भी महंगे और जटिल हो सकते हैं।

महत्व

सुलभ निदान: TZ-48 और ADxFluor अल्जाइमर की स्क्रीनिंग और बायोमार्कर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल, कम लागत वाला और उपयोगकर्ता के अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं।

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड (NSB)

संदर्भ

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड (National Shipping Board - NSB) ने अपना पहला 'सागर संवाद' आयोजित किया और पांच वर्षों में भारत के व्यापारिक बेड़े (merchant fleet) में 100 जहाजों को जोड़ने के लिए पांच-स्तंभ वाले रोडमैप पर चर्चा की।

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के बारे में

- **वैधानिक निकाय:** NSB एक वैधानिक सलाहकार निकाय है जिसका गठन मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 2025 की धारा 4 के तहत किया गया है।
- **कानूनी ढांचा:** मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 2025 पहले के 1958 के ढांचे की जगह 15 मार्च 2026 को लागू हुआ।
- **नोडल मंत्रालय:** बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** शिपिंग (नौवहन) नीति, मर्चेंट बेड़े के विकास, नाविकों (seafarers) के कल्याण और समुद्री विकास पर सरकार को सलाह देता है।

संरचना (Composition)

- **संसदीय सदस्य:** इसमें संसद के 6 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 4 लोकसभा से और 2 राज्यसभा से हैं।
- **अन्य सदस्य:** सदस्य केंद्र सरकार, जहाज-मालिकों, नाविकों और अन्य प्रासंगिक हितों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

मुख्य परीक्षा

संसदीय व्यवधान और विधायी जांच

संदर्भ

बार-बार होने वाले व्यवधान एक बहस, कार्यकारी जवाबदेही और विधायी जांच के मंच के रूप में संसद की भूमिका को कमजोर करते हैं। नवीनतम मानसून सत्र 2026 में, लोकसभा ने निर्धारित समय का केवल 15% और राज्यसभा ने 33% कार्य किया। लोकसभा में प्रश्नकाल केवल 1% और राज्यसभा में 12% चला। फिर भी 11 विधेयक पारित किए गए, जिनमें से नौ लोकसभा में बिना किसी सांसद (मंत्री को छोड़कर) के बोले पारित किए गए।

भारत में संसदीय व्यवधानों के प्रमुख कारण क्या हैं?

- **अति-महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीमित चर्चा:** व्यवधान तब पैदा होता है जब विपक्ष को लगता है कि महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है।
- **सरकार-विपक्ष गतिरोध:** संसदीय कामकाज की प्राथमिकता पर असहमति, राजनीतिक मतभेदों को बार-बार होने वाले अवरोध में बदल सकती है।
    - **उदाहरण -** सरकार निर्धारित विधेयकों के साथ आगे बढ़ना चाह सकती है, जबकि विपक्ष मांग करता है कि पहले किसी ज्वलंत सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा की जाए।
- **विपक्ष के लिए सीमित स्थान:** विपक्ष के नेतृत्व वाली बहस और प्रस्तावों के कम अवसर, मुद्दों को उठाने के वैकल्पिक तरीके के रूप में व्यवधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- **कार्यकारी जवाबदेही की मांग:** विपक्षी दल तब व्यवधान का सहारा ले सकते हैं जब उन्हें विश्वास हो कि सरकार संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने या कड़ी जांच स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
    - **उदाहरण -** किसी बड़े विवाद पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की मांग तब व्यवधान का स्रोत बन सकती है जब सरकार मांग से सहमत नहीं होती है।
- **राजनीतिक और मीडिया प्रोत्साहन:** संसद के अंदर दिखाई देने वाले विरोध प्रदर्शन लंबी विधायी भाषणों की तुलना में अधिक सार्वजनिक ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, जिससे व्यवधान राजनीतिक रूप से आकर्षक बन जाता है।
    - **उदाहरण -** सदन के वेल (Well) में नारे, तख्तियां और विरोध प्रदर्शनों को अक्सर व्यापक मीडिया कवरेज मिलता है, जिससे उनकी राजनीतिक दृश्यता बढ़ जाती है।

भारत में संसद के बार-बार बाधित होने के परिणाम क्या हैं?

- **संसदीय समय की हानि:** व्यवधान बहस, प्रश्नों और अन्य संसदीय कार्यों के लिए उपलब्ध समय को कम कर देते हैं।
    - **उदाहरण -** मानसून सत्र 2026 में, लोकसभा ने निर्धारित समय का केवल 15% कार्य किया, जो बार-बार स्थगन (adjournments) के कारण खोए गए समय के पैमाने को दर्शाता है।

- **कमजोर कार्यकारी जवाबदेही:** व्यवधान सरकारी नीतियों और कार्यान्वयन के बारे में मंत्रियों से सवाल करने के सांसदों के अवसरों को कम कर देते हैं।
  - **उदाहरण** - मानसून सत्र 2026 के दौरान, पूरे सत्र में लोकसभा का प्रश्नकाल केवल नौ मिनट तक चला, जिसमें मंत्रियों ने केवल दो प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया, जिससे कार्यपालिका की संसदीय जांच सीमित हो गई।
- **कम विधायी जांच:** जब सदन का समय (floor time) बर्बाद होता है, तो विधेयकों पर मतदान से पहले बहुत कम चर्चा हो सकती है।
  - **उदाहरण** - मानसून सत्र 2026 में, लोकसभा द्वारा पारित 11 विधेयकों में से नौ पर मंत्री के अलावा किसी अन्य सांसद ने बात नहीं की, जिससे सदन के स्तर की जांच (floor-level scrutiny) सीधे तौर पर सीमित हो गई।
- **विपक्ष की कमजोर जांच:** व्यवधान उन संस्थागत अवसरों को भी हटा सकता है जिनके माध्यम से विपक्षी सांसद चिंताएं उठाते हैं, नीतियों पर सवाल उठाते हैं और विकल्प प्रस्तावित करते हैं।
- **विचार-विमर्श (Deliberation) का क्षरण:** बार-बार होने वाला व्यवधान संसद को चर्चा और बातचीत के मंच से हटाकर मुख्य रूप से मतदान पर केंद्रित मंच की ओर ले जा सकता है।
  - **उदाहरण** - 'MSME विकास (संशोधन) विधेयक' को लोकसभा द्वारा केवल तीन मिनट में पारित कर दिया गया, जिसमें मंत्री के अलावा किसी अन्य सांसद ने बात नहीं की, जो यह दर्शाता है कि बाधित कार्यवाही के साथ कितना सीमित विचार-विमर्श हो सकता है।

सांसदों द्वारा विघटनकारी (disruptive) व्यवहार से निपटने के लिए मौजूदा तंत्र क्या हैं?

- **सदन से वापसी (निकलना):** अध्यक्ष (स्पीकर) उस सदस्य को तुरंत हटा सकता है जिसका आचरण दिन की शेष बैठक के लिए घोर अव्यवस्थित (grossly disorderly) हो।
  - **उदाहरण** - नियम 373 के तहत, अध्यक्ष किसी उपद्रवी सदस्य को बाहर जाने का निर्देश दे सकता है, और उस सदस्य को उस बैठक के शेष समय के लिए अनुपस्थित रहना होगा।
- **नाम पुकारना और निलंबन (Naming and Suspension):** जो सदस्य जानबूझकर और बार-बार सदन की कार्यवाही में बाधा डालता है, अध्यक्ष द्वारा उसका नाम पुकारा जा सकता है और सदन के एक प्रस्ताव के माध्यम से उसे निलंबित किया जा सकता है।
  - **उदाहरण** - नियम 374 के तहत, एक सदस्य जो अध्यक्ष (Chair) के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार कामकाज में बाधा डालता है, उसे सत्र के शेष भाग तक के लिए निलंबित किया जा सकता है।
- **स्वतः निलंबन (Automatic Suspension):** गंभीर अव्यवस्था के मामलों में, अध्यक्ष द्वारा सदस्य का नाम पुकारे जाने के बाद निलंबन स्वतः हो सकता है।
  - **उदाहरण** - नियम 374A के तहत, कोई सदस्य जो सदन के वेल में प्रवेश करता है या नारों या इसी तरह के आचरण के माध्यम से लगातार कार्यवाही में बाधा डालता है, उसे लगातार पांच बैठकों या सत्र के शेष भाग, जो भी कम हो, के लिए स्वतः निलंबित किया जा सकता है।

- **सदन का स्थगन:** जब अव्यवस्था इतनी गंभीर हो जाती है कि कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती, तो अध्यक्ष बैठक को अस्थायी रूप से रोक सकता है।
    - **उदाहरण -** नियम 375 अध्यक्ष को गंभीर अव्यवस्था की स्थिति में सदन को स्थगित करने या बैठक को निलंबित करने का अधिकार देता है।
- **टिप्पणियों को हटाना (Expunction):** अध्यक्ष आधिकारिक रिकॉर्ड से असंसदीय या आपत्तिजनक अभिव्यक्तियों को हटा सकता है, जिससे उन्हें प्रकाशित कार्यवाही का हिस्सा बनने से रोका जा सकता है।
    - **उदाहरण -** नियम 380-381 आधिकारिक रिकॉर्ड से आपत्तिजनक माने जाने वाले शब्दों या अभिव्यक्तियों को हटाने का प्रावधान करते हैं।

भारत में सीमित संसदीय चर्चा के साथ विधेयक पारित करने के क्या निहितार्थ हैं?

- **कानूनों की निम्न गुणवत्ता:** सीमित बहस किसी विधेयक के कानून बनने से पहले प्रारूपण (drafting) संबंधी समस्याओं और अनपेक्षित परिणामों की पहचान करने के अवसरों को कम कर देती है।
    - **उदाहरण -** 'न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026' को लोकसभा द्वारा 12 मिनट में पारित कर दिया गया, जिसमें मंत्री के अलावा किसी अन्य सांसद ने बात नहीं की, जिससे इसके प्रावधानों की जांच करने के लिए बहुत सीमित समय (floor time) बचा।
- **समिति की जांच में कमी:** जब विधेयक समितियों को दरकिनार (बायपास) करते हैं, तो संसद खंड-दर-खंड (clause-by-clause) विस्तृत परीक्षा के लिए एक मंच खो देती है।
    - **उदाहरण -** 18वीं लोकसभा में पेश किए गए केवल 21% विधेयकों को मानसून सत्र 2026 के अंत तक संसदीय समितियों को भेजा गया था।
- **कम विशेषज्ञ परीक्षा:** समिति की जांच संसद को जटिल कानून को अंतिम रूप देने से पहले विशेषज्ञों, अधिकारियों और हितधारकों (stakeholders) को सुनने की अनुमति देती है।
- **उच्च कार्यान्वयन जोखिम:** सीमित चर्चा व्यावहारिक कठिनाइयों और प्रतिस्पर्धी व्याख्याओं को कार्यान्वयन से पहले अपर्याप्त रूप से परखा हुआ छोड़ सकती है।
    - **उदाहरण -** इसके विपरीत, 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर लोकसभा में लगभग 11 घंटे चर्चा हुई, जिसमें 48 सांसदों ने भाग लिया, जिससे पारित होने से पहले इसके प्रावधानों की जांच करने की बहुत अधिक गुंजाइश मिली।
- **निम्न लोकतांत्रिक वैधता:** कानून को अधिक लोकतांत्रिक वैधता तब मिलती है जब निर्णय लेने से पहले विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों को सुना जाता है।
    - **उदाहरण -** मानसून सत्र 2026 के दौरान, लोकसभा में नौ विधेयक मंत्री के अलावा किसी अन्य सांसद के बोले बिना पारित किए गए, जिससे दृश्यमान संसदीय विचार-विमर्श काफी सीमित हो गया।

आगे की राह

- **संसदीय कैलेंडर तय करना:** संसद को कानून बनाने, जांच करने और निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कार्यों के लिए पर्याप्त बैठक (sitting) के दिनों के साथ एक अनुमानित वार्षिक कैलेंडर का पालन करना चाहिए।
    - **उदाहरण -** NCRWC (संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग) ने लोकसभा के लिए लगभग 120 और राज्यसभा के लिए 100 बैठकों की सिफारिश की, जिससे संसदीय समय को लेकर अनिश्चितता कम होगी।
- **विपक्ष के समय की गारंटी देना:** एजेंडा-सेटिंग (एजेंडा तय करने) के लिए व्यवधान का उपयोग करने की आवश्यकता को कम करने के लिए विपक्ष के नेतृत्व वाली चर्चाओं के लिए संसदीय समय का एक निश्चित हिस्सा आरक्षित किया जाना चाहिए।
    - **उदाहरण -** यूके (UK) के 'विपक्ष के दिन' (Opposition Days) विपक्षी दलों को अपनी पसंद के मुद्दों को उठाने और उन पर बहस करने के लिए निर्दिष्ट दिन प्रदान करते हैं।
- **प्रश्नकाल की रक्षा करना:** अन्य कार्यवाही बाधित होने पर भी प्रश्नकाल जारी रहना चाहिए, क्योंकि यह कार्यकारी जवाबदेही का एक प्रमुख तंत्र है।
    - **उदाहरण -** बाधित प्रश्नों को किसी अन्य निर्धारित अवधि में स्थानांतरित किया जा सकता है या समयबद्ध लिखित उत्तरों के माध्यम से उत्तर दिया जा सकता है, जिससे व्यवधान को मंत्री की जवाबदेही को पूरी तरह से समाप्त करने से रोका जा सके।
- **विधायी-पूर्व परामर्श को मजबूत करना:** विधेयकों को आम तौर पर पेश किए जाने से पहले सार्थक सार्वजनिक परामर्श (पब्लिक कंसल्टेशन) से गुजरना चाहिए, जिससे हितधारकों को कानूनी और कार्यान्वयन संबंधी चिंताओं को उजागर करने का अवसर मिले।
    - **उदाहरण -** एक मजबूत 'विधायी-पूर्व परामर्श नीति, 2014' (Pre-Legislative Consultation Policy) मसौदा विधेयकों के साथ-साथ उनके वित्तीय, संवैधानिक और संघीय निहितार्थों के प्रकाशन की आवश्यकता कर सकती है।
- **श्रेणीबद्ध अनुशासन (Graded Discipline) अपनाना:** विरोध के सभी रूपों को समान रूप से मानने के बजाय अनुशासनात्मक कार्रवाई व्यवधान की प्रकृति और गंभीरता के आनुपातिक होनी चाहिए।
    - **उदाहरण -** मौखिक व्यवधान के लिए चेतावनी, उसके बाद लगातार बाधा के लिए बाहर निकालना या निलंबन, दंड का एक अनुमानित (तार्किक) विस्तार पैदा करता है।
- **अध्यक्ष (स्पीकर) की तटस्थता को मजबूत करना:** अध्यक्ष (Chair) की विश्वसनीयता नियमों के लगातार लागू होने और प्रक्रियात्मक विवादों के पारदर्शी संचालन पर निर्भर करती है।
    - **उदाहरण -** महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक प्रश्नों पर तर्कपूर्ण फैसले (रूलिंग) और उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) का समय पर चुनाव सदन की तटस्थता में विश्वास को मजबूत कर सकता है।

- **संसदीय प्रदर्शन को ट्रैक करना:** सार्वजनिक रूप से संसदीय कामकाज को मापने से व्यवधानों और विधायी जांच की कमजोरियों को अधिक स्पष्ट (visible) किया जा सकता है।
    - **उदाहरण -** एक 'संसदीय उत्पादकता सूचकांक' (Parliamentary Productivity Index) बैठक के घंटों, प्रश्नकाल के प्रदर्शन, समिति के संदर्भों (referrals), विधेयकों पर बहस के समय और गैर-सरकारी सदस्यों (private members) के कामकाज को ट्रैक कर सकता है।